संख्या-156/2022/।/226534/2022/23-11099-099-45-2022

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक 18/10/2022**

विषयः- जनपद अयोध्या में एन0एच0-27 बाईपास से निकलकर महोबरा बाजार होते हुए टेढ़ीबाजार/श्रीराम जन्मभूमि तक का 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 1.360 कि0मी0) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-194/पी0जे011/15पी0जे0(1)/22, दिनांक 28-07-2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में एन0एच0-27 बाईपास से निकलकर महोबरा बाजार होते हुए टेढ़ीबाजार/श्रीराम जन्मभूमि तक का 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 0.920 कि0मी0) की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-364/2021/60आ/23-11-2021-1/2(37)/2021, दिनांक 31-03-2021 द्वारा लागत रू0 3007.32 लाख की प्रदान की गयी है। प्रश्नगत मार्ग की लागत एवं लम्बाई में वृद्धि के कारण व्यय-वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 4498.73 लाख (रू0 चौव्वालिस करोड़ अट्ठानबे लाख तिहत्तर हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत
1	जनपद अयोध्या में एन0एच0-27 बाईपास से निकलकर महोबरा बाजार होते हुए टेढ़ीबाजार/श्रीराम जन्मभूमि तक का 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 1.360 कि0मी0)।	3007.32	4498.73

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-

http://shasanadesh.up.nic.in

ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(9) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत की दर से निर्माण लागत पर जी0एस0टी0 की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र-177/09/2022TUR दिनांक 03-08-2022 के अनुसार सिविल निर्माण कार्यो पर दिनांक 18-07-2022 से जी0एस0टी0 की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी, जिसके दृष्टिगत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर किया गया है। जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(11) प्रायोजना में 16422 व0मी0 भूमि अध्याप्ति एवं 3131.25 व0मी0 भवन अधिग्रहण प्रस्तावित है। इस हेतु रू0 2616.22 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। इस धनराशि को यथावत आंकलित धनराशि में सम्मिलित कर लिया गया है। भूमि अर्जन की कार्यवाही सीएएलए (कम्पीटेन्ट अथारिटी फार लैण्ड एक्यूजीशन) के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(12) भूमि/भवन अधिग्रहण कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ किया जाय।

(13) यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत विद्युत विभाग की लाइन एवं विद्युत पोलों सहित शिफ्टिंग हेतु मूल स्वीकृति आगणन लागत रू0 126.06 लाख एवं वन विभाग हेतु रू0 36.90 लाख (विवरणानुसार) प्रस्तावित किया गया है, जिसे यथावत अनुमन्य करते हुए लागत अनुमोदित की गयी है। प्रस्तावित कार्य पर सक्षम स्तर का अनुमोदित की गयी है। प्रस्तावित कार्य पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर वास्तविकता के अनुसार निर्माण कार्य कराया जाय।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विभाग का होगा।

(15) प्रस्ताव का परीक्षण लागत में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(16) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(17) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07-06-2022 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या-364/2021/60आ/23-11-2021-1/2(37)/2021, दिनांक 31-03-2021 की शेष प्रतिबन्ध/शर्तें यथावत रहेंगी।

3- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सडकें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1323-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर)-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सडकें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-13-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के कार्यो हेतु-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-E-8-192-X-2022-23, दिनांक 18-10-2022 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in